

10.07.2017

डिक्रीदार की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव ने उपस्थित होकर एक आवेदन शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया। विचार उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण पेशी में लिया गया।

डिक्रीदार की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि डिक्रीधन की संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। अतः उक्त इजरा प्रकरण को पूर्ण संतुष्टि में समाप्त किया जावे। विचार उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार कर डिक्रीदार की पूर्ण संतुष्टि में इजरा की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत
अपर जिला न्यायाधीश